Head Analyst

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले विभाग

संख्याः एफ.डी.एस.-ए(3)-13/99 तारीख शिमला-2, 9 अगस्त, 2010.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-13/99, तारीख 14-10-2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) की भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध-"क" का संशोधन। 2.(1) हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध-"क" में:-

(क) स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"01 (एक)।"

(ख) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

"10300-34800रुपए जमा 3600रुपए ग्रेड पे।"

आदेश द्वारा,

प्रेम कुमार
प्रधान सचिव(खा0ना0आ0एवं उ0मा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
9 अगस्त, 2010

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांक : शिमला-171002,

प्रतिलिपि प्रेषित हैः-

1. निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि0प्र0, शिमला-9
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग उनके पत्र संख्या 1-6/76 पी0एस0सी0-पार्ट-II दिनांक 12.7.2010 के संदर्भ में दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 3 नवम्बर, 2003/12 कार्तिक, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 14 अक्तूबर, 2003

सं० एफडीएस-ए(3)-13/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या 1-15/69-एफ एण्ड एस, तारीख 11 दिसम्बर, 1973 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित दी हिमाचल प्रदेश फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमैण्ट क्लास-III सर्विस रिक्रुटमैंट, प्रमोशन एण्ड सर्टेन कंडीशन्ज आफ सर्विस रुल्ज, 1973 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक कि ये मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद से सम्बन्धित हैं ।

2707-राजपत्र/2003-3-11-2003—1,402. (2181) मूल्य एक रुपया ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम 2(i) के अधीन निरसित नियमों के अधीन की गई नियुक्ति, कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

बी0 एस0 चौहान,
सचिव ।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में मुख्य विश्लेषक, वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	मुख्य विश्लेषक
2. पदों की संख्या	2 (दो)
3. वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान	रुपये 5480-160-5800-200-7000-220-8100-275-8925.
5. चयन पद या अचयन पद	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता ।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा ।	कनिष्ठ विश्लेषकों में से, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल

यदि कोई हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर निरीक्षक ग्रेड-II में से जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल यदि कोई हो, प्रोन्नति द्वारा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों।

	(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
	परन्तु उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, इसके फल-स्वरूप पारस्परिक वरीयता अप्रभावित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ?	जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	लागू नहीं
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा	लागू नहीं
18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेशों द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of this department notification No. FDS-A(3)-13/99, dated 14-10-2003, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 2003

No. FDS-A(3)13/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the